

Business Reform Action Plan (BRAP), Graded Response Action Plan (GRAP), CM-डैशबोर्ड एवं सेफ सिटी परियोजना की समीक्षा हेतु अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27.10.2023 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारीगण द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

- (1) समस्त विकास प्राधिकरण, उ०प्र० के अधिकारीगण (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।
- (2) समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उ०प्र० के अधिकारीगण (वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से)।
- (3) श्री ए०के० मिश्र, मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- (4) श्री रवि जैन, निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ।
- (5) श्री रमेश चन्द्र यादव, अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
- (6) श्री सूर्य प्रकाश जायसवाल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, CM-डैशबोर्ड।
- (7) श्री अनिल तिवारी, आई०टी० विशेषज्ञ, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ।

2- Business Reform Action Plan के संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि 509 लाभार्थियों का डाटा निवेश मित्र को उपलब्ध कराया गया था। उपलब्ध कराये गये डाटा में से निवेश मित्र द्वारा 287 लाभार्थियों का डाटा विभाग को वापस उपलब्ध कराया गया। इन 287 लाभार्थियों से फीडबैक प्राप्त किया गया जिसमें से 59 लाभार्थियों से फीड बैक नहीं प्राप्त किया जा सका क्योंकि फोन स्विच ऑफ/आउट ऑफ नेटवर्क/नम्बर बदल गया था। शेष 228 में से 01 लाभार्थी को छोड़कर अन्य सभी से सकारात्मक फीडबैक प्राप्त हुआ है।

निर्देश:- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा सम्बन्धित अभिकरणों को लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जाए एवं फीडबैक प्राप्त किया जाए।

3- CM-डैशबोर्ड के संबंध में बैठक में अवगत कराया गया कि मा० मुख्यमंत्री जी के स्तर से अनुश्रवण किए जाने हेतु विकसित CM-डैशबोर्ड (दर्पण) पर समस्त विभागों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं में डाटा इन्टीग्रेट कर उपलब्ध कराया जा रहा है जिसकी मॉनीटरिंग "मुख्यमंत्री कमाण्ड सेन्टर" से की जा रही है। उत्तर प्रदेश CM-डैशबोर्ड (दर्पण) द्वारा विभागों के कार्यों एवं उनके प्रदर्शन के आधार पर मासिक रैंकिंग निर्गत की जाती है। अवगत कराना है कि CM-डैशबोर्ड पोर्टल पर मासिक ग्रेडिंग एवं डाटा की गुणवत्ता के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग रैंकिंग में सितम्बर, 2023 माह में 28वें स्थान पर है तथा विभाग को डाटा क्वालिटी इन्डेक्स में 49 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्देश:- अभिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश CM-डैशबोर्ड (दर्पण) पर प्रदान की जा रही अपने अभिकरण की सेवाओं/योजनाओं/परियोजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण हेतु नोडल अधिकारी नामित करते हुए नोडल अधिकारी का विवरण (नाम, पदनाम, मोबाईल नम्बर, कार्यालय का पता एवं ई-मेल आई०डी०) निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र०, लखनऊ को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

4- Graded Response Action Plan (GRAP) के संबंध में बैठक में अवगत कराया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं निकटवर्ती क्षेत्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी रिवाइज्ड GRAP के क्रियान्वयन के संबंध में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा समय-समय पर आदेश निर्गत किए गए हैं। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्सर्जित धूल एवं वायु प्रदूषण की प्रभावी रोकथाम हेतु कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में भी

शासन के पत्र संख्या-2652/आठ-2-2023-31-2021 दिनांक 27.10.2023 द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं।

निर्देश:- शासन के उक्त पत्र संख्या-2652/आठ-2-2023-31-2021 दिनांक 27.10.2023 द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन हेतु सुनिश्चित किए जाने हेतु समस्त सम्बन्धित अभिकरणों को निर्देश दिए गए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत अभिकरणों गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुआ, बुलन्दशहर, खुर्जा, बागपत-खेकड़ा एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण को रिवाइज्ड ग्रेडेड रिस्पान्स एक्शन प्लान (GRAP) के क्रियान्वयन के संबंध में शासन के पत्र संख्या-2390(1)/आठ-3-23-31/2021 दिनांक 29.09.2023, पत्र संख्या-2390(2)/आठ-3-23-31/2021 दिनांक 05.10.2023 एवं पत्र संख्या-2576/आठ-3-23-31/2021 दिनांक 27.10.2023 द्वारा दिए गए निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन एवं प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

5- सेफ सिटी परियोजना के संबंध में अवगत कराया गया कि शासन द्वारा सेफ सिटी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु बहुमंजिला आवासीय इमारतों/परिसरों के प्रवेश एवं निकास द्वारा पर सी.सी.टी.वी. कैमरों के अधिष्ठापन की सूचना निर्धारित प्रारूप पर मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराये जाने के निर्देश आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ, उपाध्यक्ष, आगरा, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, झांसी कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन, मेरठ विकास प्राधिकरण एवं जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, शाहजहांपुर को निर्देश दिए गए हैं तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को अभिकरणों से प्राप्त सूचना को समेकित कर शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्देश:- जिन अभिकरणों द्वारा सूचना अभी तक नहीं उपलब्ध करायी गयी है वह वांछित सूचना तत्काल मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को उपलब्ध कराएं। मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा समेकित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जाए।

6- बैठक में भारत सरकार की अमृत योजनान्तर्गत तैयार की जा रही जी.आई.एस. आधारित महायोजना (प्रारूप) के संबंध में विचार-विमर्श किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या 2112(1)/आठ-3-2023 दिनांक 20 सितम्बर 2023 के क्रम में महायोजना प्रारूप नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिनका परीक्षण नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कतिपय त्रुटियाँ संज्ञान में आयीं हैं। इस संबंध में शासन के पत्र संख्या-2653/आठ-3-2023 दिनांक 27.10.2023 द्वारा सम्बन्धित अभिकरणों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

निर्देश:- सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा महायोजना (प्रारूप) प्रेषण के संबंध में शासन के उक्त पत्र संख्या-2653/आठ-3-2023 दिनांक 27.10.2023 द्वारा दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

अरुण कुमार

अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3


संख्या : 2747 / आठ-3-2023

लखनऊ : दिनांक : 10 नवम्बर, 2023

उक्त कार्यवृत्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, उ0प्र0, लखनऊ।
6. श्री सूर्य प्रकाश जायसवाल, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर, CM-डैशबोर्ड।
7. बैठक में प्रतिभाग करने वाले अधिकारीगण।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(अरुण कुमार)

अनु सचिव।